MR. SPEAKER: The second part is more important.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: As far as I know, the Planetarium in Calcutta has been constructed through private munificence and some well known industrial house has financed it and is looking after the management. I do not know how the Bombay Planetarium is coming up. Government certainly would not have any objection whatsoever if some private industrialist or some other body comes up for putting up a Planetarium. In that case, if such a proposal comes, I would plead with my esteemed colleague Shri Sikandar Bakht for commissioning of land.

SHRIMATI V. JEYLAKSHMI: Is it a fact that many Planetoriums have been set up in North India but only one has been set up in Vijayawada for the entire south, if so, will the Minister consider establishing Planetoriums in all the State Capitals like Hyderabad, Bangalore, Madras etc. so that students and other people might be educated in the fields of astrology and astronomy?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: There is no such proposal.

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : अभी मंत्री महोदय से यह बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि जब बच्चों को पढ़ने के लिए पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, तो प्लैनेटेरियम आदि चीजें कैसे बनाई जा सकती हैं । इस के मानी ये हैं कि जब तक सब बच्चों के लिए स्कूल-भवन नहीं बन जायेंगे, तब तक कोई लैबोरेटरी बनेगी ही नहीं । यदि लैबोरेटरी वगैरह बन सकती हैं, तो प्लैनेटेरियम क्यों नहीं बन सकता है ?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: It is always a question of priorities: I have not said that laboratories are not important....

MR. SPEAKER: Question No. 268.

सुपर बाजरों तथा जनता दुकानों के माध्यम से गेहूं तथा चीनी सप्लाई करने का प्रस्ताव

*268. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में गेहूं तथा चीनी क्रमश : 150 रुपए तथा 430 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचे जा रहे हैं , जब कि सरकारी गोदामों में और अधिक भंडारण क्षमता नहीं है चीनी मिलें फिर चालू हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गेहूं तथा चीनी के मूल्य निर्धारित करने तथा इन्हें सुपर बाजरों तथा जनता दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने का है जैसा कि दालों के मामले में किया गया है, यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 24 नवम्बर, 1977 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों जहां पर अधिकांशत: बढ़िया किस्म के लिए अधिक मूल्य होता है, को छोड़ कर गेहू के थोक मूल्य आम तौर पर 150 रूपये प्रति क्विंटल से कम थे। इसी प्रकार, चीनी के थोक मूल्य भी आम तौर पर 430 रुपये प्रति क्विंटल से कम थे।

(ख) गेहूं और चीनी उचित दर की दुकानों से निर्धारित मूल्य पर दिए जाते हैं जिस में केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों को दिए गए गेहूं का भारतीय खाद्य निगम डिपो पर मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल और

लेवी चीनी का उपभोक्ता मूल्य 2.15 रूपये प्रति किलो है । सरकार के पास उपलब्ध भारी सुरक्षित भण्डार के संदर्भ में राज्यों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गेहूं देने में तेजी लाएं और उपभोक्ता को आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करें ।

उचित दर की दूकानों की प्रणाली से उपभोक्ताओं की गेहूं को पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने की सरकार की क्षमता और खुले बाजार के मूल्यों को प्रभावित करने के लिए दिसम्बर, 1977 से आगे लेवी चीनी का अधिक वितरण करने और अधिक मात्रा में लेवी मुक्त चीनी देने की दृष्टि से अधिक से अधिक मूल्य निर्धारित करने पर जोर देना आवश्यक नहीं समझा जाता है । तथापि, सुगर बाजार तथा जनता दुकानें इन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

श्री दया राम शाक्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि 24 नवम्बर, 1977 तक गेहूं के थोक मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल और शक्कर के 430 रुपये प्रति क्विंटल से कम थे । वास्तविकता यह है कि उत्तर भारत में, जहां गेहूं की खपत सब से ज्यादा होती है, गेहूं के थोक मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल से कहीं ज्यादा पाये गये, और वे इस समय भी इस से ज्यादा हैं । यही स्थिति चीनी की भी है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस समय उत्तर भारत में गेहूं और चीनी की वास्तविक कीमत क्या है ?

अधिकांश उपनगरों में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता है, और लोगों को खाद्यान्न बाजार से खरीदना पड़ा है, क्योंकि वहां लेवी सिस्टम या सस्ते दर की दुकानों के माध्यम से गल्ला नहीं दिया जाता है । क्या सरकार उपनगरों में रहने वाले लोगों को खद्यान्न उचित दर की दुकानों के माध्यम से देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्रियों में 24 नवम्बर, 1977 को गेहूं के जो मूल्य प्रचलित थे, मैं उन्हें पढ देना चाहता हूं :—

चंदौसी : 120 रुपये, इटावा : 128 रुपये, इलाहाबाद : 130 रुपये, सुल्तानपुर: 130 रुपये, बांदा : 145 रुपये, (हाथरस के बारे में मालूम नहीं है), बहराइच : 120 रुपये, हापुड़ : 132 रुपये । कानपुर : 130, काल्पी 126 और सहारनपुर 126 । इस से देखा जा सकता है कि कहीं भी 150 के लगभग उत्तर प्रदेश में मूल्य नहीं हुआ ।

दूसरा प्रश्न जो है कि किन्हीं स्थानों पर फेयर प्राइस शाप्स नहीं है तो हम तो बराबर राज्य सरकारों को लिखते रहे है कि वे आवश्यकतासानुर अधिक से अधिक फेयर शाप्स खोलें, हमारी तरफ से उन्हें किसी भी मात्रा में अनाज मांगें, देने में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री दया राम शाक्य : यह बराबर शिकायतें मिल रही हैं और यहां पर भी यह बात डिस्कस हुई है कि शुगर की ड्युअल प्राइस पालिसी कामयाब नहीं है । विशेष रूप से देहातों में जो सस्ते मूल्य की दूकानों से शुगर दी जाती है उस का वितरण ठीक प्रकार से नहीं होता है । जहां जहां भी इस की व्यवस्था है हर जगह ऐसी शिकायत पायी जा रही है कि शुगर का वितरण निर्धारित कीमत पर नहीं हो रहा है और सारी की सारी शुगर कोटे वाले स्वयं बेच देते हैं मार्केट में । तो क्या सरकार इस ड्युअल प्राइस पालिसी को समाप्त

कर के ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से चीनी स्वाभाविक तौर पर ठीक दाम पर लोगों को मिल सके ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह बात कुछ हद तक सच है कि देहाती क्षेत्रों में लेवी चीनी का वितरण पंजाब, हरयाणा, गुजरात और केरल, केवल इन चार राज्यों को छोड कर अन्यत्र ठीक नहीं है। इन चार राज्यों में पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में चीनी के वितरण की व्यवस्था अच्छी और सन्तोषजनक थी और इन राज्यों में शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर चीनी भेजते थे। लेकिन अन्य राज्यों में दुर्व्यवस्था थी और गांव वालों को कम चीनी मिलती थी । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चीनी बराबर भेजेगी और इसी उद्देश्य से लेवी शुगर का कोटा भी बढाया गया है। हम ने राज्य सरकारों को लिखा है कि आप इसकी व्यवस्था करें जिस में ग्रामीण क्षेत्रों में भी चीनी का समान वितरण हो। यहां तक लिखा गया है कि अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाऐंगे तो ऐडीशनल चीनी का कोटा नहीं दिया जायगा । । लेकिन सभी राज्यों के मंत्रियों ने लिख कर भेजा है कि हम वितरण की व्यवस्था कर चुके है। आप हम को ऐडीशनल कोटा दीजिए, हम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप पुराने अनुभव से न जांयें। अभी जो ऐडीशनल कोटा देने की बात है वह दिसम्बर में रिलीज़ हो रहा है, वह अभी जिलों तक पहुंचा नहीं है। हम को अभी से निर्णय नहीं निकाल लेना चाहिए कि राज्य सरकारें इस में असफल रहेंगी। अगर चार राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर संतोषजनक ढंग से चीनी का वितरण संभव है तो कोई कारण नहीं है कि अन्य राज्यों में भी ऐसा न हो सके ।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मंत्री महोदय ने बताया कि नगरों में और गांवों में गेहूं का वितरण हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ने यह भी जांच करने का प्रयास किया या आप के पास इस प्रकार की कोई शिकायतें आई कि शहरों में, जो गेहूं इन दुकानों से मिलता है, वह मंत्री महोदय के पास तो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जो यहां वितरण करने वाली दूकानें हैं वहां से वह गेहूं कोई खरीदता नहीं है इसलिए कि वह गेहूं इंसानों के खाने लायक नहीं है जो वहां पड़ा हुआ है और दूसरे, जो चीनी शहरों में वितरित होती है उस की मात्रा 300 या 400 ग्राम प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं है और ग्रामों में तो चीनी का नाम तक नहीं है, यह दशा में सारे राजस्थान की बता रहा हूं, अन्य प्रदेशों की आप जानते होंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय फेयर प्राइस शाप्स से दिए जाने वाले गेहूं की जांच करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे जिस से कम से कम इंसानों के खाने योग्य गेहूं वहां दिया जाय ? बाकी लोग तो बाजारों से खरीद लेते हैं लेकिन जो गांवों में गेहूं मिलता है वह तो ऐसा होता है कि इंसान क्या जानवर भी नहीं खा सकते। तो क्या मंत्री महोदय इस की व्यवस्था करेंगे और चीना 300 ग्राम का जगह 1 किलो कम से कम देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जहां तक चीनी के वितरण का प्रश्न है, मैं अभी निवेदन कर चुका कि नयी योजना अभी चालू होने वाली है । पहले वाली योजना तो असफल थी, यह मैं स्वीकार करता हूं । चार राज्यों को छोड़ कर जिनके मैं ने नाम गिनाये हैं, और कहीं भी चीनी की समुचित वितरण व्यवस्था नहीं थी । इसलिए पुरानी बात को दोहराने से तो कोई लाभ नहीं है । जहां तक वर्तमान का प्रश्न है, मैं निवेदन कर चुका कि चीनी अभी रिलीज़ हुई है,

आज पांच तारीख है, अभी वह राज्य सरकारों के पास पहुंची नहीं है इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें । इतने वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अन्याय होता रहा उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संसत्सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे राज्य सरकारों पर दबाव डालें कि वे उचित वितरण व्यवस्था करें । (व्यवधान) ।

MR. SPEAKER: He said that he is accepting it.

श्री सुरेन्द्र बिक्रम : माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित । अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि संसद सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे राज्य सरकारों पर दबाव डालें, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए सक्षम नहीं है ? कम से कम जहां पर जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, वहां पर केन्द्रीय सरकार दबाव डाल सकती है और उनको स्पष्ट निर्देश दे सकती है ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक चीनी के वितरण की बात है उसमें बड़ा घपला है । उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में तो मुझे मालूम है कि समाजवाद का नारा लिया जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी बहुत कम मिलती है और शहर वालों को ज्यादा मिलती है । यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए । इसके अलावा जिन चार राज्यों में चीनी की वितरण व्यवस्था अच्छी है वहां पर क्या वितरण प्रणाली है उसके सम्बन्ध म मंत्री जी बता दें ताकि हम अपने यहां जाकर अधिकारियों से उसके बारे में बातचीत कर सकें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : नयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निवासियों में 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास चीनी बांटने का प्रस्ताव है और उसी हिसाब से राज्य सरकारों को चीनी का एलाटमेंट किया गया है ।

जहां तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव होने का प्रश्न उठाया गया, मैं निवेदन कर चुका हूं कि बराबर मात्रा में दोनों क्षेत्रों के निवासियों को चीनी दी जायेगी ।

जहां तक नयी व्यवस्था की बात है, जहां तक मेरी जानकारी हैं उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बांटे जा रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम : वह तो पहले ही बांटे जा चुके हैं ।

किसानों के आर्थिक विकास के लिए कृषि के वैज्ञानिक तरीके

*269. **श्री राज केशर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों विशेषकर छोटे किसानों के आर्थिक विकास के लिए कृषि के वैज्ञानिक तरीके आरम्भ करने की क्या योजनाएं हाथ में ली गई है; और

(ख) इन योजनाओं के फलस्वरूप सभी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किसानों के जीवन-स्तर में कहां तक सुधार हुआ हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) वर्ष 1951–52 में प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही कृषि में